

P 70



लीज शीट

- स्थाप- 01 वर्ग के जमानस का 06 गुना- 90,000/-रुपया
1,800/-रुपया
- अवधि- 30 वर्ष (दिनांक 10.01.2020 से 09.01.2050 तक)
- सम्पत्ति- आबादी सं०- 106 का रकमा 1,71,1000 से से
1,02,5000 (10250 वर्गमीटर)
- पाम- कुपडी हसनपुर।
- परताना- तिकन्दरा
- जनपद- कानपुर देहात।
- बौद्धदी- पूरब- जाहाजी सं० 106 का शेष भाग।
पश्चिम-नाली बावटू समझी आदि का खेत।
उत्तर-बकनार बावटू नाली बावटू सुलीला कटिहार
आदि का खेत।
दक्षिण-आराजी सं०- 118

हस्ताक्षर अध्यायक

हस्ताक्षर डिप्टी अध्यायक

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 544040

सीख डीड

स्टाम्प-	01 वर्ष के जमानत का 06 गुना- 10,000/-रुपया 1,000/-रुपया
अवधि-	30 वर्ष (दिनांक 10.01.2020 से 09.01.2050 तक)
सम्पत्ति-	भारतीय संघ- 106 का रकबा 1,71,10 हे० में से 1,02,50 हे० (10250 वर्गमीटर)
ग्राम-	जुमकी हसनपुर।
परगना-	मिथानदा
जिल्ला-	बानसपुर पैडाल।
सीमाएँ-	पूरुब- आराजी सं० 106 का क्षेत्र भाग। पश्चिम-नाली बाढ़रु रामश्री आदि का क्षेत्र। उत्तर-सकगाम बाढ़रु नाली बाढ़रु सुनीला कटियार आदि का क्षेत्र। दक्षिण-आराजी सं०- 118

इनामदार प्रथमपक्ष

(Handwritten signature)

इनामदार द्वितीयपक्ष

(Handwritten signature)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EX 604837

प्रथमपक्ष (लीज डीड दाता)-

(2)

कुंज बिहारी जाल मेमोरियल महाविद्यालय
दुबकी हरनपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा
प्रबन्धक श्री अशोक कुमार कटियार पुत्र स्व
कुंज बिहारीलाल मिश्रासी ग्राम दुबकी हरनपुर
परगना व सहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर
देहात। जन्मतिथि 15.01.1963 आकार कार्ड
संख्या 2018 3911 7991 पैन नं०-
ASBPK5538N मोबाइल नम्बर- 9794800244
प्रथमपक्ष।

द्वितीयपक्ष (लीज डीड ग्राहक)-

कुंज बिहारी जाल मेमोरियल महाविद्यालय प्रबन्ध
समिति दुबकी हरनपुर जनपद कानपुर देहात
द्वारा प्रबन्धक श्री अशोक कुमार कटियार पुत्र
स्व कुंज बिहारीलाल मिश्रासी ग्राम दुबकी
हरनपुर परगना व सहसील सिकन्दरा जनपद
कानपुर देहात। जन्मतिथि 15.01.1963 आकार
कार्ड संख्या 2018 3911 7991 पैन नं०-
ASBPK5538N मोबाइल नम्बर- 9794800244
द्वितीयपक्ष।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

अशोक कुमार

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

अशोक कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EX 604838

(b)

जो कि प्रथमपक्ष एक किला साटा रंग- 106 वाकी मीठा बुधजी इसनपुर परगना न
 18हरीत सिकन्दर जन्मपद धानपुर जेहात का जारिये बैनामा क्रमका दिनांक 05.10.2008 व
 18.02.2007 दरलारगत नामर 1679 व 298 की द्वारा गालिज कविज है। जो लगभग वारी से
 पाक व सफ है। जिसे मुक्ति का हद तरह से मुक्तकित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
 जो कि उपरोक्त आरजी में खाना 1.7110है0 में से 1.0250है0 (10250 वर्गमीटर) का लीज
 बीच प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के कब्र आज दिनांक 10.01.2020 को दिनांक 10.01.2020 से
 08.01.2020 तक के लिये तकनीक ली जा रही है।

जिसकी शर्तें निम्न है कि—

1. यह कि 15,000/-रुपया जी दर से 30 वर्ष से लामाश मुपतिग 4,50,000/-रुपया
 होना जो प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण 30 वर्ष का लामाश प्रीमियम एकमुस्त
 मुपतिग 4,50,000/-रुपया उपरोक्त लामाश प्रथमपक्ष व समिति के सभी सदस्यों
 को सहज स्वीकार है। लामाश प्रीमियम एकमुस्त मुपतिग 4,50,000/-रुपया
 द्वितीयपक्ष को शकुक रुप से पेटा विलेख के निष्पादन के पूर्व अदा कर दिया गया
 है।

इनामकर प्रथमपक्ष

(Handwritten signature)

इनामकर द्वितीयपक्ष

(Handwritten signature)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 256705

(4)

2. यह कि प्रथमपक्ष द्वारा समिति के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भूमि व भवन सीज ब्रीड पर लेने के लिये तैयार है। अपनी सहमति के आधार पर सभी सदस्यों की सहमति से सीज निष्पादित की जा रही है। उपरोक्त सीज को सम्बन्ध में प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के मध्य जो शर्तें हुई हैं उनको लिपिबद्ध किया जा रहा है। ताकि सनाइ रहे अथ समय पर काम आवे।
3. यह कि दोनों पक्ष संपत्ति हस्तान्तरण एक्ट 1882 (Transfer of Property Act 1882) अथवा जो भी प्राबल/नियम राज्य व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जायेंगे उनमें सीज हेतु निहित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।
4. यह कि भारत के किसी न्यायालय में उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है जो कि उक्त भूमि को सीज पर देने अथवा लेने की भांति हो।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

[Handwritten signature]

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 256704

(5)

5. यह कि यह लीज दिनांक 10.01.2020 से 30 वर्षों हेतु अपरिध्वंसीय है। 30 वर्षों की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी। अथवा दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर लीज की अवधि की अवधि के लिए पुनः स्थापित कर सकते हैं।
6. यह कि उक्त भूमि पर लीज की तिथि से पूर्व एवं लीज के दिनांक तक किसी सरकारी गैर सरकारी अथवा व्यक्ति से विलीन्य देनदारियाँ संचित नहीं हैं। यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बाधा से मुक्त है पाक-साफ है।
7. यह कि द्वितीयपक्ष (लीज ग्राहक) को इस भूमि/भवन को किसी अन्य पक्ष को लीज पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
8. यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान के भवन का निर्माण अथवा निर्मित भवन में परिवर्तन कराकर सभी सम्बन्धित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

अशोक कुमार

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

अशोक कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B# 256747

(8)

9. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान संघालन के क्रम में भवन निर्माण एवं शैक्षणिक संस्थान विधिक हेतु सभी विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
10. यह कि द्वितीयपक्ष लीज की विधि से एवं उसके बाद लीज की अवधि में उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी विधिक टैक्स/शुल्क जमा करने हेतु उत्तरदायी एवं बाध्य होगा।
11. यह कि आवश्यकतानुसार यदि द्वितीयपक्ष को किसी भी विधिक, सस्कारी कार्य हेतु स्वमित्त के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग करेगा एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करावेगा।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

अजय कुमार



हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

अजय कुमार



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 256746

(१)

इस तारखे प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को यह लीज कीज अपनी राती खुली व सही होश हवास में व खूब सोच समझकर पढ़ सुनकर फतवै तहरीर कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विदित हो कि दिनांक 10.01.2020ई0 की प्रथमपक्ष ने मौजा बुबयी हसनपुर खसरा नम्बर 106 रकबा 1.7110हे0 ने से 1.0250हे0 पर जमीदारी दिनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित करा ली है। पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा पक्षकारों की फोटो प्रमाणित रूपरु गवाहान के कथनानुसार स्वयं प्रारूपकर्ता ने की है। उक्त प्रलेख के कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने के कारण पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार कर कम्प्यूटर द्वारा टाइप कराकर तैयार किया गया है। विदित हो कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष व गवाहान के पहचान के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

अशोक कुमार

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

अशोक कुमार



(b)

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

मनोज कुमार

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

मनोज कुमार

गवाह नं० 1- मनोज कुमार पुत्र स्व० कुंजबिहारलाल निवासी ग्राम बुढकी
हसनपुर तह० सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
मो०नं०- 8919494002

मनोज कुमार



गवाह नं० 2- शाह आत्म पुत्र गहमूद अली निवासी ग्राम रमज
तह० सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
मो०नं०- 8997950914

ASD



तहरीर तारीख 10 जनवरी सन 2020ई० तहसील सिकन्दरा कानपुर देहात।

डाफ्टर बाई

विन्ध प्रताप सिंह एडवोकेट,
तहसील सिकन्दरा कानपुर देहात।

J Singh Adv

10-01-2020